07-12-2020

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी ओटरमल पुत्र भूराराम गहलोत, जाति– नाई, निवासी– कलापुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म श्री सागर डेयरी, मालियों का वास, शिवगंज, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार उपस्थित। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने आज ही बहस सुने जाने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का नमूना जांच हेतु लेने की विधिवत कार्यवाही नही की है, केवल खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों के खाली फार्म पर हस्ताक्षर करवाये। यह कि प्रतिवादी आस–पास के गांवो के दूध विक्रेताओं से दूध खरीद कर विक्रय करता है। प्रतिवादी ने दूध में कोई मिलावट नही की है। जांच रिपोर्ट में भी दूध में मात्र मिल्क सोल्डिस नॉट फेट की मात्रा न्यूनतम 8.5 प्रतिशत के स्थान पर 7.75 प्रतिशत पाई गई है, अन्य सभी मानकों के अनुरुप दूध जांच में पाया गया है। प्रतिवादी एक छोटा व्यापारी है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिरोही खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु दिनांक 18.7.2018 को समय 4.00 पी. एम. पर फर्म सागर डेयरी, मालियों का वास, शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर, खाद्यकारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से ओटरमल पुत्र भूराराम गहलोत, जाति– नाई, निवासी– कलापुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित मिले,

.....लगातार

न्यायालय ग्रा० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:47:22 IST
Reason: SelfAttested

ग्रा० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.4/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

जो आम जनता को मिक्स्ड मिल्क का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने डेयरी निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले मिक्स्ड मिल्क के अमानक स्तर का शक होने पर डेयरी में एक डीप फ्रिज में बिक्री हेतु मौजूद मिक्स्ड मिल्क लगभग 160 लीटर को एक लीटर के नपने से हिला मिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए मिक्स्ड मिल्क में से 2 लीटर मिक्स्ड मिल्क को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष एक साफ सूखे, खाली भिगाने में कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क के एक नमूना भाग एवं फार्म नंम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफे को नमूनें की जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया एवं शेष 3 नमूना भाग मय फार्म नं. 6 के अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से उक्त खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क के नमूना संख्या S-804 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./508/Act/2018/527 दिनांक 26.7.2018 के अनुसार मिक्स्ड मिल्क अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी ओटरमल पुत्र भूराराम गहलोत, जाति– नाई, निवासी– कलापुरा, शिवगंज, जिला–सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, सागर डेयरी, मालियों का वास, शिवगंज, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत ओटरमल पुत्र भूराराम गहलोत, जाति– नाई, निवासी– कलापुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म सागर डेयरी, मालियों का वास, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी ओटरमल पुत्र भूराराम गहलोत, जाति– नाई, निवासी– कलापुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं [illegible] सिरोही के कार्यालय में 10 दिन में जमा करवा[illegible] सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित [illegible] पत्रावली फैसल शुमार हो तथा जुर्माना राशि का डी.डी. [illegible] पर पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:47:22 IST
Reason: SelfAttested

11.12.2020
(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

सिरोही (राज.)